न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. मदनलाल / सपाडिवर्डी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज Gcms-2018/00003	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 23/4/25 को पेश हों।	
23/4/25	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 09/5/25 को पेश हों।	
9/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। पत्रावली वास्ते पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16/5/25 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/6/25 को पेश हो।	
25/6/25	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 4/9/25 को पेश हों।	
4/09/2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। वकील वादी ने आपति विभाजन प्रस्ताव पर जवाब न पेश कर सीधी बहस सुने जाने का निवेदन किया जो न्यायहित में स्वीकार किया गया। विभाजन प्रस्ताव/ आपति विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 24.09.2025 को पेश हो।	
24/09/2025	वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उप0। विभाजन प्रस्ताव /आपति विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील वादी ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार नीमकाथाना ने मौके पर जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की मौजूदगी में विवादित भूमि का अच्छे से अच्छा व बुरे से बुरा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया हैं। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने की कृपा करें। वकील वादी की बहस के प्रत्युत्तर में वकील प्रतिपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख जो इस हुक्म तामील में जो

से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर करते हुए निवेदन किया कि जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया हैं उसमें सभी खातेदारान के हिस्से के अनुसार एवं कब्जे के अनुसार विभाजन किया जाकर प्रत्येक खातेदार के हिस्से की अलग–अलग बटा नम्बर दर्ज करते हुए उसी अनुसार मौके का नक्शा तैयार कर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए था। किन्तु प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में अधिकांश खातेदारान को एक साथ हिस्से में भूमि दी गई हैं। जबकि सभी खातेदारान को विभाजन का लाभ प्राप्त होना चाहिए। अतः आपत्ति स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्येक खातेदार के हिस्से एवं कब्जे अनुसार खसरा नम्बरान को बटा नम्बर के रूप में दर्ज करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश के साथ पुनः प्रेषित करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव एवं आपत्ति विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वकील प्रतिवादीगण ने अपनी आपत्ति में कोई स्पष्ट अंकन नही किया जिस कारण विभाजन प्रस्ताव दुबारा से मंगवाया जाना आवश्यक हो। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना